प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.12.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आज दिनांक 23.12.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त अली मोहम्मद उर्फ समीर पुत्र महफूज निवासी निठौरा रोड़ ई0 रिक्शा स्टैण्ड अशोक नगर, अमन गार्डन फेस-2, लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को सब्लूगढी रोड़ चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा आसपास के क्षेत्र में घूम फिर कर अवैध गांजा की पुडिया बनाकर बिक्री कर मुनाफा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अली मोहम्मद उर्फ समीर पुत्र महफूज निवासी निठौरा रोड़ ई0 रिक्शा स्टैण्ड अशोक नगर, अमन गार्डन फेस-2, लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 03 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0

श्री नरेन्द्र सिंह थाना विजयनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्री संजीव कुमार बखरवा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त गुलाब पुत्र सतपाल निवासी राठी मिल(सरिया), विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया, थाना विजयनगर गाजियाबाद को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 23.12.2025 को धारा 6 पॉक्सो अधि0 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री जो अपनी दादी के पास सोई हुई थी जिसको अभियुक्त द्वारा उठाकर ले जाना तथा उसके साथ दुष्कर्म करना, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 24.07.2018 को थाना विजयनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने व वादिया को नशा कराकर अनैतिक देह व्यापार कराने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.09.2025 को थाना टीलामोड पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया के साथ दुष्कर्म करने व अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा वादिया को नशा कराकर अनैतिक देह व्यापार कराने के सम्बन्ध में थाना टीलामोड पर सुसंगत धारा 64(2)m, 115(2), 351(2), 123, 61(2) बीएनएस व 4/5/6(1)(b) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 23.12.2025 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वादिया के साथ दुष्कर्म करने व वादिया को नशा कराकर अनैतिक देह व्यापार कराने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त नदीम पुत्र छोटे निवासी जी जी फार्म हाउस के सामने 80 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता सी 169 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली 95 उम्र करीब 21 वर्ष को करन गेट गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त नदीम उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त मूल रूप से कस्बा अतरौली जिला अलीगढ़ का रहने वाला है। अभियुक्त के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा गांव में अभियुक्त की कोई सम्पत्ति नही है। वर्तमान में अभियुक्त अपनी माँ व बहन के साथ पुरानी सीमापुरी दिल्ली में रहता है। अपनी जीविका चलाने के लिए गलत संगत में पड़ गया तथा अपने अन्य साथियों के सम्पर्क में आ गया। इसीक्रम में एक दिन अभियुक्त नरगिस के कमरे पर बैठा था कि तभी मुस्कान उर्फ चच्चो वादिया को नरगिस के घर लेकर आयी और वादिया की सहमति से अभियुक्त के अन्य साथियों की मदद से वादिया को नशा कराया गया, उसके बाद नियत खराब होने पर अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा साथ मिलकर वादिया के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी।

उपरोक्त सभी लोग लोग वादिया को ड्रग्स देने लगे और जबरन कई होटलों में भेजते थे। जब वादिया ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया तो दिलशाद, नौशाद, नरगिश, दिलशाद का दोस्त फुरकान तथा नदीम, रोशिनी व कोमल ने वादिया के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा वादिया की अश्लील विडियो वायरल करने की धमकी देने लगे कि यदि हमारे साथ देह व्यापार का काम नहीं किया तो तेरी विडियो वायरल कर देंगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र छोटे निवासी जी जी फार्म हाउस के सामने 80 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता सी 169 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी पूर्वी दिल्ली 95 उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड पर दुष्कर्म का 01 अभियोग अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.12.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर वादिया के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धारा 69, 351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 22.12.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दैरान दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त शोएब पुत्र हनीफ निवासी जानी खुर्द थाना जानी मेरठ उम्र करीब 31 वर्ष को यूपीगेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 69, 351(2) बीएनएस में धारा 115(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त की मुलाकात वादिया से वर्ष 2020 में हुई थी तभी से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थे। अभियुक्त पिछले सप्ताह वादिया से उसके मकान में मिला था, जहाँ दोनों के बीच शारिरिक सम्बन्ध बने थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोएब पुत्र हनीफ निवासी जानी खुर्द थाना जानी मेरठ उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में उपनिरीक्षकगण हेतु इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस मैनेजमेंट प्रशिक्षण(**Investment Finance Management Training**) कार्यक्रम का आयोजन।

आज दिनांक 23.12.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम सिहानी गेट अन्तर्गत कमिश्नरेट गाजियाबाद में नियुक्त उपनिरीक्षकगण के लिए Investment एवं Finance Management विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षित निवेश, बचत योजनाएं, बैंकिंग उत्पादों, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, पेंशन योजनाएं तथा भविष्य की आर्थिक योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाना तथा उन्हें आर्थिक निर्णयों में दक्ष करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि किस प्रकार नियमित आय में संतुलित निवेश कर भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है तथा वित्तीय धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस कर्मियों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं तथा आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस कर्मियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ट्रांस हिण्डन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस/स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 246 मोबाइल (अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

सी०ई०आई०आर० (सेन्ट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ट्रांस हिण्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल फोन चोरी, स्नैचिंग लूट व मोबाइल फोन खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ट्रांस हिण्डन जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 246 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रूपये की बरामदगी की गई है। चोरी, स्नेचिंग/लूट

व खोये हुए मोबाइल फोन को देश के विभिन्न राज्यों (हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर आदि) में से बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन को उनके स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं। रिकवरी प्रतिशत के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले थाने, थाना शालीमार गार्डन 65% व थाना टीलामोड 59% रहा है। अतः पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना शालीमार गार्डन व थाना टीलामोड की सी०ई०आई०आर० पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना इन्दिरापुरम – 61
2. थाना कौशाम्बी – 69
3. थाना खोड़ा – 31
4. थाना साहिबाबाद – 25
5. थाना लिंकरोड़ – 23
6. थाना शालीमार गार्डन – 26
7. थाना टीलामोड़ – 11

बरामदगीः-

- चोरी किये हुए मोबाइल फोन-03
- गुमशुदगी के मोबाइल फोन- 243

कुल बरामद मोबाइल फोनः-

246 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 65 लाख रूपये)